विभाग का परिचय

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का स्वतंत्र रूप से गठन दिनांक– 12 अगस्त, 1995 को किया गया तथा 20 सितम्बर, 1995 को विभाग के प्रशासनिक ढ़ॉचे का गठन किया गया।

दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान के दृष्टिगत विभाग का नाम ''**विकलांग जन विकास विभाग**'' से परिवर्तित करते हुए ''**दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग**'' किया गया है।

- दिव्यांग जन को व्यापक पुनर्वास सेवायें प्रदान करने के लिए विभाग का गठन

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया :–

1– दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन।
2– दिव्यांगजन के कल्याण के बारे में राज्य की नीति का निर्धारण व उसका क्रियान्वयन।
3– आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
4– दिव्यांग जन के विकास सम्बन्धी भारत सरकार की नीति एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
5– दिव्यांगजन के कल्याण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय।
6– दिव्यांगजन के कल्याण सम्बन्धी कार्यो हेतु अन्तर–विभागीय समन्वय।
7– सेवाओं में आरक्षण एवं सेवायोजन का पर्यवेक्षण।
8– दिव्यांगजन को सामाजिक सहायता तथा उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
9– दिव्यांगजन के लिए विशेष शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण।
10–गैर–सरकारी संस्थाओं/माता–पिता/सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का दिव्यांगजन के कल्याण के संदर्भ में प्रशिक्षण।
11– वाह्य सहायता एवं सहयोग।
12– गैर–सरकारी संस्थाओं से दिव्यांगजन के कल्याण कार्य के लिए सहायता एवं सहयोग।
13– राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों एवं उनके संगठनों से दिव्यांगजन के कल्याण के लिए सहयोग प्राप्त करना।
14– दिव्यांगजन से सम्बन्धित योजनायें, आय–व्ययक तथा अन्य प्रशासनिक मामले।

परिशिष्ट–ख

प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट

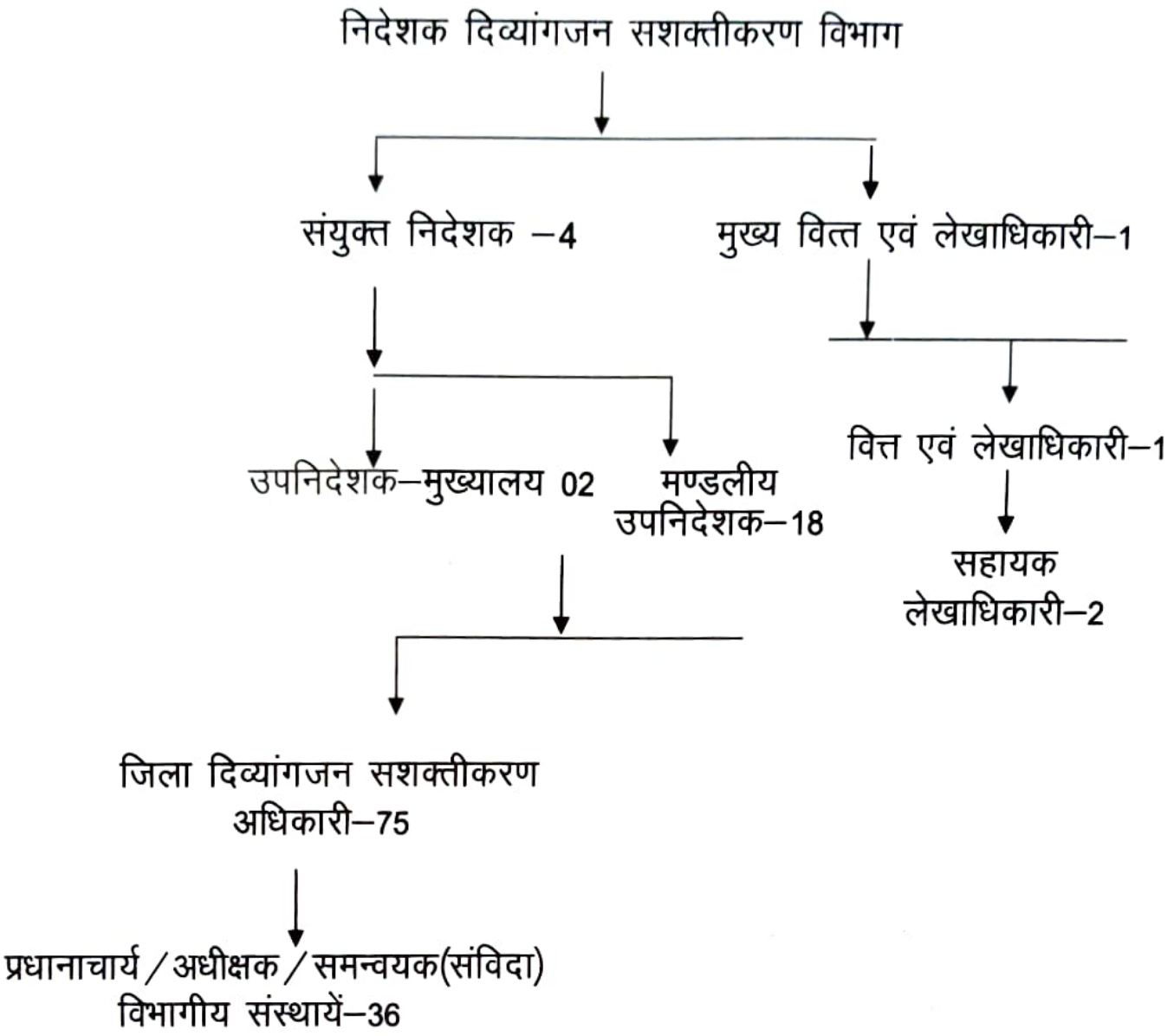

विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं

1. निराश्रित दिव्यांगजन के भरण–पोषण हेतु अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना :–

पात्रता व शर्ते :–

ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।

उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे है।

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।

लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

आय

गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/– तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/– प्रति परिवार प्रति–वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मान्य होगा।)

अनुदान की दर

इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर रू0 1000/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय–समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।

अनुदान की प्रकिया एवं प्रतिबन्ध

अनुदान की प्रकिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे :–

नवीन अवेदको को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आवक–प्रथम पावक के अनुसार देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।

अनुदान–ग्रहीता की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की संगत किश्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिलेख गलत सूचना, लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये की तरह 'पब्लिक मनी (रिकवरी आफ ड्यूज) ऐक्ट, 1965' की धारा–3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत की जायेगी ।

इस नियमावली के प्रभावी कियान्वयन हेतु निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।

आवेदन पत्र **<u>ऑन लाइन आवेदन पत्र स्वीकृत के संबंध में प्रक्रिया</u>**

1- दिव्यांगजन भरण–पोषण अनुदान हेतु आवेदक द्वारा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन किया जायेगा। आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई–आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

2- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आवेदन पत्र की जॉच करने उपरान्त स्वीकृत लाभार्थियों का आवेदन–पत्र को पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली पर लाभार्थी के बैंक खाते के सत्यापन हेतु अग्रसारित करेगा।

3- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से बैंक खाते का मिलान करने के उपरान्त लाभार्थी के आवेदन–पत्र को फाईनल फ्रीज करते हुए भुगतान हेतु निदेशालय स्तर पर अग्रसारित करेगा।

भुगतान की प्रक्रिया पेंशन की धनराशि का भुगतान आधार बेस्ड पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

2. कुष्ठावस्था पेंशन योजना :–

1– पात्रता व शर्ते

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों के भरण–पोषण के लिये अनुदान की सहायता देना है जिनके परिवार की आय उनके भरण–पोषण हेतु पर्याप्त न हो।

- **कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन से तात्पर्य ऐसे सभी व्याक्तियों से है, जिनमें कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता उत्पन्न हुयी हो (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) तथा जिसे उत्तर प्रदेश के संबंधित जनपद के मुख्य जिकित्साधिकारी से तत्संबंधी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हो।**
- **जो कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।**
- **वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/सहायता पाने वाला व्यक्ति इस पेंशन/अनुदान के लिये पात्र नही होंगे।**

2– आय

उक्त पेंशन/अनुदान के लिये बी0पी0एल0 आय सीमा निर्धारित होगी।

3– आयु

कुष्ठ रोग के कारण हुये दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों, पेशन/अनुदान हेतु पात्र होगें।

4– दर

इस योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू0 3000/– प्रति माह होगी। इसके लिये शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित दर मान्य होगी।

उपर्युक्त पात्रता की शर्तो में किसी प्रकार के विवाद होने की दशा में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

5– आवेदन पत्र

ऑन लाइन आवेदन पत्र स्वीकृत के संबंध में प्रकिया

4- दिव्यांगजन भरण–पोषण अनुदान हेतु आवेदक द्वारा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन किया जायेगा। आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई–आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

5- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आवेदन पत्र की जॉच करने उपरान्त स्वीकृत लाभार्थियों का आवेदन–पत्र को पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली पर लाभार्थी के बैंक खाते के सत्यापन हेतु अग्रसारित करेगा।

6- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से बैंक खाते का मिलान करने के उपरान्त लाभार्थी के आवेदन–पत्र को फाईनल फ्रीज करते हुए भुगतान हेतु निदेशालय स्तर पर अग्रसारित करेगा।

6– भुगतान की प्रकिया

पेंशन की धनराशि का भुगतान आधार बेस्ड पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

3. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान योजना

उद्देश्य एवं प्रयोजन

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान करना है जिनकी (नियोजित या स्वरोजगार की दशा में) या जिनके परिवार की (आश्रित की दशा में) समस्त स्रोतों से वार्षिक आय गरीबी की रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो, अर्थात् वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/– तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/– प्रति परिवार प्रति–वर्ष निर्धारित आय अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा संशोधित निर्देशों के अनुरूप।

अनुदान की दर

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि प्रति लाभार्थी रू0 15000/– अनुमन्य होगी, अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित दर अनुमन्य होगी।

पात्रता व शर्ते

- किसी भी आयु वर्ग के दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो।
- ऐसे दिव्यांगजन जिनमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो। मानसिक मंदिता की स्थिति में किसी व्यक्ति के चित की अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से वृद्वि की असामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- दिव्यांगजन हेतु आवश्यक कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु चिकित्साधिकारी द्वारा संस्तुति की गयी हो।
- ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें समान प्रयोजन/उपकरण के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से पिछले तीन वर्षो के दौरान लाभान्वित नही किया गया हो, तथापि किसी शैक्षिक संस्थान के नियमित छात्रों के लिए यह सीमा एक वर्ष के लिए होगी।

आय

गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/– तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/– प्रति परिवार प्रति–वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित निर्देशों के अनुरूप। अनुदान प्राप्त करने हेतु मा0 सांसद, मा0 विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उपकरणों का विवरण

योजनान्तर्गत दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता के अनुरूप निम्न प्रकार के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जा सकते है :–

(i) गतिशीलता सहायक यन्त्र जैसे – ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सी.पी. चेयर, क्रचेज, वाकिंग स्टीक और वाकिंग फ्रेम/रोलेटर्स।

(ii) दृष्टि बाधित दिव्यांगता से ग्रस्त छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण उपकरण जैसे अंकगणितीय फ्रेम, एबाकस, ज्यामितिय किट्स अथवा ब्रेल एजूकेशनल किट्स।

(iii) दृष्टि बाधित दिव्यांगजन के लिए ब्लाइन्ड स्टिक।

(iv) श्रवण बाधित दिव्यांगजन हेतु विभिन्न प्रकार के श्रवण–सहायक यन्त्र तथा शैक्षणिक किट।

(v) मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों एवं विद्यार्थियों हेतु एम.एस.आई.डी. किट (मल्टी–सेन्सरी ऐजूकेशन डेवलपमेंट किट)

(vi) कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के दैनिक क्रियाकलापों सम्बन्धी किट (ए0डी0एल0 किट)

(vii) योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रासंगिक उपकरणों यथा– स्मार्ट फोन, टैब्लेट एवं डेजीप्लेयर प्रदान किये जाने की व्यवस्था।

(viii) बहुदिव्यांगता की दशा में अथवा जिन दिव्यांगजन को एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है उनके लिए एक बार में अधिकतम रू0 15000/– तक की वित्तीय अनुदान स्वीकृत की जायेगी।

- **अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध**

(i) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।

(ii) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को सूचीबद्ध कर उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष आवेदकों को वित्तीय अनुदान दिये जाने में ''प्रथम आवक एवं प्रथम पावक के सिद्धान्त'' के आधार पर स्वीकृति करेंगे।

(iii) योजना अन्तर्गत यदि किसी आवेदन–पत्र को निरस्त किया जाता है तो ऐसे आवेदकों की सूची निरस्त करने के स्पष्ट कारण सहित तैयार कर अनुरक्षित रखी जायेगी।

(iv) इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

(v) इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।

- **आवेदन की प्रक्रिया**

ऑनलाईन आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से वेबसाईट divyangjanup. upsdc.gov.in/ पर भरा जा सकता है तथा ई–आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

- **उपकरण वितरण की प्रक्रिया**

जनपदों में शिविर के माध्यम से लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किये जायेगें।

4. शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

1 पात्रता व शर्ते

- 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य होगा।)
- दम्पत्ति भारत का नागरिक हो
- दम्पत्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी या कम से कम 05 वर्ष से उसका अधिवासी हो।
- दम्पत्ति में कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।
- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- दम्पत्ति में विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा दिव्यांग से प्रचलित समाज की रीति–रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो।
- यह प्रोत्साहन पुरस्कार चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित विवाह से संबंधित आवेदन पत्रों पर ही देय होगा।
- दम्पत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।
- जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।
- अनुदान पात्र दम्पत्ति को संयुक्त रूप से देय होगा और केवल एक बार दिया जायेगा तथा विवाहित दम्पत्ति में से किसी सदस्य द्वारा तत्समय् प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण/विवाह विच्छेदन या विवाह विघटन कर लेने पर दम्पत्ति अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगे और वह भूराजस्व की भॉति वसूल होगी।
- विवाह के दिनांक से प्रारम्भ होकर 05 वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पत्ति के वैवाहिक संबंध टूट जाते है तो अनुदान की संपूर्ण धनराशि भूराजस्व की भॉति वसूल होगी।

(3) दर

1. दम्पत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15,000/–
2. दम्पत्ति में केवल युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20,000/–
3. दम्पत्ति में युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35,000/–

(4) आवेदन पत्र

ऑनलाईन आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से वेबसाईट divyangjan.upsdc.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई–आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

(5) भुगतान की प्रक्रिया

चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित विवाह से सम्बन्धित आवेदन–पत्र प्रथम आवक तथा प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर ही नियमानुसार स्वीकृत किये जायेगें तथा भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

5. दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना :–

1– पात्रता व शर्ते

40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र मान्य होगा)।

समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो।

ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।

- दिव्यांग मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 500/– प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।

दिव्यांगजन जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हो तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो।

दिव्यांगजन के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।

दिव्यांगजन द्वारा 05 वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाये उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूॅजी)

2– दुकान निर्माण/क्रय/किराये पर लिये जाने के लिए स्थल का चयन

नगरीय क्षेत्र – ऐसा स्थान जहॉ पर व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।

ग्रामीण क्षेत्र – ऐसा स्थान जहॉ आवगमन की आसान सुविधा हो एवं व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।

3– आय

दिव्यांगजन जन जिनकी वार्षिक आय समय–समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो।

4– दर

दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/– एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू0 10,000/– की धनराशि प्रदान की जाती है।

- रू0 20,000/– में रू0 15,000/– की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000/– अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- इसी प्रकार रू0 10,000/– में रू0 7,500/– की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0 2,500/– अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

5– आवेदन पत्र

ऑनलाईन आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से वेबसाईट divyangjandukan.upsdc.gov.in पर भरा जा सकता ह तथा ई–आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

6– भुगतान की प्रकिया

आवेदन–पत्र प्रथम आवक तथा प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर ही नियमानुसार स्वीकृत किये जायेगें तथा भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

7– ऋण की वसूली

- **दुकान निर्माण** हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, ऋण व अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के एक वर्ष बाद रू0 500/– प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- **दुकान क्रय** हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 500/– प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- **खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय** हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 250/– प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान के निर्माण/खोखा, गुमटी, हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली के बाद ब्याज की धनराशि वसूल की जायेगी। यह वसूली 24 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। लाभार्थी ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि को एक मुश्त भी अदा कर सकता है।

6- दिव्यांगजन को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की योजना :–

1. **परिभाषा :–**
   इस योजना के अन्तर्गत जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हों।
   क. बसों में ऐसी साधारण बसें अभिप्रेत होंगी जो निगम द्वारा उसके अधीन उ0प्र0 में विभिन्न मार्गो पर चलाई जाती हो। वायुशीतित, शयनयान, वातानुकूलित तथा वीडियोयुक्त बसों पर यह सुविधा लागू नहीं होंगी।
   ख. 'निगम' उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम अभिप्रेत होगा।
   ग. 'राज्य' से उ0प्र0 अभिप्रेत होगा।
2. दिव्यांगजन को उ0प्र0 निःशुल्क यात्रा सुविधा उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम की बसों से भिक्षावृत्ति से भिन्न प्रयोजन के लिये यात्रा करने पर दी जायेगी।
3. यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांग व्यक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र परिवहन निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत कर यात्रा प्रारम्भ कर सकेगा।
4. उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रमाणपत्र, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कितने दिव्यांग व्यक्तियों ने एक त्रैमास में निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपयोग किया, के साथ मांग पत्र दिये जाने पर अनुमन्य धनराशि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. **(1)** यात्रा की सुविधा केवल मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के आधार पर ही दिव्यांगजन को ही दी जायेगी।
   (2) यात्रा की सुविधा केवल उन्हीं दिव्यांगजन को देय होगीं जो निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक में आते हों :–
   क– जो पूर्ण रूप से अंधे हो या अल्पदृष्टि (लो विज़न) हों (दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)।
   ख– जो पूर्ण रूप मूक हों, बधिर हों या दोनों हों (दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 की परिभाषा के अनुसार)।
   ग– जिनके एक हाथ व पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों।
   घ– जिनके एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों।
   च– जो मानसिक रूप से मंद/रूग्ण हों। (दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)
   छ– जो लेप्रोसी मुक्त दिव्यांग हों।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये दिव्यांगता प्रमाण–पत्र में यदि कोई दिव्यांग गम्भीर दिव्यांगता से ग्रसित है। अर्थात यदि व 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता से ग्रसित है तो उस दिव्यांग के एक सहयोगी को दिव्यांग की तरह ही निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

7. परिवहन निगम की बसों से दिव्यांग को पूरे वित्तीय वर्ष में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।
8. नगर बस सेवा में भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, यदि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम सेवा संचालित करते हों।
9. नियम 7 (2) के अंतर्गत उल्लिखित दिव्यांगजन को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।
10. उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये संबंधित विभाग के आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के अनुसार पारस्परिक सहमति से धनराशि का भुगतान निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा किया जायेगा।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र का प्रयोग यात्रा सुविधा हेतु किया जायेगा।
12. दिव्यांग द्वारा यात्रा करने पर परिवहन निगम का बस कंडक्टर दिव्यांग को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (यू0डी0आई0डी0 कार्ड) देखने के पश्चात **दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में उनके अन्तिम गन्तव्य स्थल तक उपलब्ध करायी जायेगी।** इस यात्रा का लेखा–जोखा यथासमय परिवहन निगम के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उक्त निःशुल्क यात्रा के लिये जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र पर पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर व मोहर का अंकन किया जाना अनिवार्य नही होगा।
13. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अपने यहॉ एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें ऐसे दिव्यांगजन का उल्लेख होगा जो परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने हेतु पात्र हैं।
14. उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम प्रत्येक तीन माह पर लेखा विवरण तथा यात्रा करने वाले दिव्यांगजन की संख्या संबंधी विवरण निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण को उपलब्ध करायेगे।
15. दिव्यांगता की जो परिभाषा यात्रा के लिये दी गई है, उस श्रेणी में आने के लिये यह आवश्यक होगा कि संबंधित दिव्यांग अपने जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
16. इस यात्रा हेतु संबंधित दिव्यांग तथा उसके सहयोगी को यात्रीकर का भुगतान नहीं करना होगा।